विनियामक और अन्य उपाय

सितंबर 2008

आरबीआइ/2008-09/157 शबैंवि. पीसीबी. परि. सं.11/13.05.000/2008-09 05 सितंबर 2008

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

केंद्रीय बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.43/13.05.000/2007-08 जिसके साथ कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 भेजी गई थी तथा उसके बाद 02 जून 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.50/13.05.000/2007-08 देखें जिसमें, अन्य बातों के साथ,योजना के अंतर्गत दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों तथा दावों की लेखापरीक्षा से संबंधित अनुदेश दिए गए थे।

2. बाद के परिपत्र के पैराग्राफ 2 एवं 5 के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों तथा दावों की लेखापरीक्षा से संबंधित अनुदेशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क) योजना की परिपकल्पना के अनुसार, लाभार्थियों तक वास्तव में लाभ पहुँचाने के बाद ''ऋण माफ़ी'' एवं ''एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत ऋण राहत'' के लिए अलग से समेकित दावे प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ख) ''ऋण माफ़ी'' एवं ''ऋण राहत'' के संबंध में समेकित दावों को प्रतिपूर्ति के लिए 02 जून 2008 के हमारे परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.50/13.05.000 /2007-08 के क्रमश: अनुबंध - 1

तथा अनुबंध - 11 में दिए गए प्रारूपों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेषित किया जाए।

ग) बैंक शाखा स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में इन दावों को विधिवत लेखापरीक्षित रूप में तैयार करें। उसके बाद शाखावार दावों को आंतरिक लेखापरीक्षकों के आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ संबंधित नियंत्रक कार्यालय को अग्रेषित किया जाए। आंतरिक लेखापरीक्षकों के आवश्यक प्रमाणपत्र के आधार पर इन दावों को आगे प्रधान कार्यालय स्तर पर भी समेकित किया जाए। इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त जारी करने के लिए इस प्रकार के ''प्राथमिक'' दावों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

घ) उपर्युक्त ''प्राथमिक'' दावों को क्रमश: 31 अक्तूबर 2008 (ऋण माफ़ी के लिए) तथा 30 सितंबर 2009 (ऋण राहत के लिए) प्रस्तुत कर देना चाहिए।

ङ) इसके उपरांत, केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए (ऋण माफ़ी के लिए) तथा वर्ष 2009-10 के लिए (ऋण राहत के लिए) वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान इन ''प्राथमिक'' दावों की समुचित नमूना जांच की जाए। सांविधिक लेखापरीक्षकों को यह कार्य बैंकों द्वारा एक विशेष कार्य के रूप में सौंपा जाए। इस प्रयोजन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक कम से कम 20 प्रतिशत शाखाओं एवं खातों को अपने प्रतिनिधिक नमूना में शामिल करें ताकि दावों की सटीकता को प्रमाणित किया जा सके।

च) ऊपर बताए गए अनुसार केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित ''अंतिम'' समेकित दावों को 30 जून 2009 (ऋण माफ़ी के लिए अनुबंध -1 में) तथा 30 जून 2010 (ऋण राहत के लिए अनुबंध - 11 में) तक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जाए।

छ) उपर्युक्त में से किसी भी मामले में बैंकों को दावा संबंधी आवेदन पत्रों पर मोटे अक्षरों में ''प्राथमिक'' तथा ''अंतिम'' लिखना चाहिए ताकि हम उनमें फ़र्क कर सकें।

ज) तथापि, इस योजना के अंतर्गत बाद की किस्तों की प्रतिपूर्ति ''अंतिम'' दावों की प्राप्ति के बाद ही की जाएगी।

झ) यदि केंद्र सरकार को इस बात का समाधान हो और उसे लगे कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह किसी भी उधारदाता संस्था अथवा उसकी एक या एक से अधिक शाखाओं के मामले में विशेष लेखापरीक्षा के निदेश भी दे सकती है।

3. उपर्युक्त परिपत्रों की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

आरबीआइ/2008-09/178, शबैंवि. पीसीबी. परि. सं.14/16.12.000/2008-09, 17 सितंबर 2008

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

मुद्रा के संबंध में भावी सौदे प्रारंभ करना - शहरी सहकारी बैंक

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करने तथा भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स की शुरूआत करने से संबंधित प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक आंतरिक

कार्यसमूह का गठन किया गया था। समूह ने अपनी रिपोर्ट में घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार में करेंसी फ्यूचर्स की शुरुआत करने की सिफ़ारिश की है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन सिफ़ारिशों की समीक्षा करने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है तथा 01 अगस्त 2008 की अपनी अधिसूचना सं.फेमा 177/आरबी-2008 के माध्यम से निदेश जारी कर दिया गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि जो शहरी सहकारी बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I एवं II के रूप में विदेशी मुद्रा व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हैं वे इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के दिशानिर्देशों के अधीन सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त निर्दिष्ट करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों में केवल अपने अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग के प्रयोजन से ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं।

आरबीआइ/2008-09/248 संदर्भ.सं. मौनीवि. बीसी. 307/07.01.279/2008-09 अक्तूबर 24, 2008

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा

कृपया 25 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र सं.मौनीवि.298/07.01.279/2007-08 देखें जिसके अनुसार 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत कम पर निर्धारित की गई है तथा जिसकी विधिमान्यता 31, अक्तूबर 2008 तक है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था की विधिमान्यता 30 अप्रैल, 2009 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है (अनुबंध)।

अनुबंध

श्रेणी	1 नवम्बर 2008 से लागू (30 अप्रैल 2009 तक)
पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण 180 दिन तक	बेंचमार्क मूल उधार से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक
पोतलादानोत्तर रुपया निर्यात ऋण (क) मांग बिलों पर परिवहन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथनिर्दिष्ट)	बेंचमार्क मूल उधार से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक
(ख) 90 दिन तक के मीयादी बिल	बेंचमार्क मूल उधार से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक

बीपीएलआर : बेंचमार्क मूल उधार दर

टिप्पणी : 1. चूँकि ये अधिकतम दरें हैं, अत: बैंक इन अधिदतम दरों से कम कोई भी दर लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
2. उपर्युक्त श्रेणी के ऋणों पर निर्धारित अवधि से बाद की अवधि के लिए ब्याज की दरें नियंत्रण-मुक्त हैं ।